



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
 (उ०प्र० सरकार का उपकम)
 शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
 CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 71-आ०प्र०(23) / पाकालि / 2018

दिनांक 09 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर एतद्वारा निम्नांकित अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यहित में स्तम्भ सं०-४ में उल्लिखित कार्यालय में तैनात किया जाता है:-

| क्र० सं० | नाम/अभियन्ता/ गृह जनपद/सेवनी० की तिथि | वर्तमान पदनाम एवं तैनाती का निगम | प्रोन्नति के पश्चात पदनाम एवं तैनाती का कार्यालय |
|-------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह/89165/ आगरा/30.06.2022 | अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा। | अधीक्षण अभियन्ता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ। |
| 2. | श्री अशोक कुमार/89167/ गोरखपुर/31.12.2025 | अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, फाफामऊ, इलाहाबाद। | अधीक्षण अभियन्ता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी। |

- उपर्युक्त प्रोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि निदेशक के पद पर नियुक्त मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ यदि किसी कारणवश मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति (Consequential effect) में कनिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
- उक्त आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-३-२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का०ज्ञा० में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।
- निगम को आवार्णित अधिकारी की तैनाती वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्णीत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक 11-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 71-आ०प्र०(23) / पाकालि / 2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मा० ऊर्जा मंत्री/मा० ऊर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- समस्त निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/कर्सो लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०न्समिशनका०लि०।
- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- समस्त सचिव/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा सं.

 (अरुण कुमार राय)
 उप सचिव(०२३)